न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 34/2019(जी.सी.एम.एस. 2019/00063)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुड्डी देवी पुत्री गुरमुख सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफबी हाल आबाद चक 9-एफए माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।	1. तेजकौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफ तहसील श्रीकरणपुर 2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफ तहसील श्रीकरणपुर 3. राजकुमार पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफ तहसील श्रीकरणपुर 4. मंगल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफ तहसील श्रीकरणपुर 5. विन्दर सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफ तहसील श्रीकरणपुर 6. जलकौर पत्नी पुत्र श्री किशन सिंह जाति बावरी निवासी चक 59-एफ तहसील श्रीकरणपुर 7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

तारीख रजूः— 13.05.2019

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 आरटीए

—निर्णय—

दिनांक : 06.09.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के ससुर/दादा गुरमुख सिंह पुत्र प्रेम सिंह के नाम चक 59-एफबी तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 14/14 सम्वत्त 2069-72 के मुरबा नं0 14 के किला नं0 5, 6, 15, 16 वा 25 प्रत्येक 0.253-0.253है0 कुल 1.265है0 नहरी, मु0नं0 17 के किला नं0 1 ता 10 प्रत्येक 0.253-0.253है0 नहरी कुल 2.530है0 व मुरबा नं0 22 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक 0.253 -0.253है0 नहरी कुल खाता का योग 5.060है0 नहरी भूमि में से तीन बीघा नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार गुरमुख सिंह के नाम चक 59-एफबी तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 26/21 के मुरबा नं0 2 के किला नं0 16 ता 18 प्रत्येक 0.253-0.253है0, किला नं0 22/2 की 0.063है0, किला नं0 23-24 प्रत्येक 0.228-0.228है0, किला नं0 25 0.227है0 कुल 1.505है0 नहरी, मुरबा नं0 28 के किला नं0 1 की 0.228है0, किला नं0 2-3 प्रत्येक 0.227-0.227है0, किला नं0 8 ता 13 प्रत्येक 0.253-0.253है0 किला नं0 19 ता 21 प्रत्येक 0.253-0.253है0 व किला नं0 22/1 0.127है0 कुल 3.086है0 नहरी तथा मु0नं0 35 की 0.076है0 गै.मु.खाला इस प्रकार से कुल खाता का योग 4.591है0 नहरी तथा 0.076है0 गै0मु0खाला में से 1.588 है0 नहरी मय खाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया के पिता व प्रतिवादीगण के ससुर/दादा गुरमुख सिंह पुत्र प्रेम सिंह ने अपनी उक्त कृषि भूमि चक 59-एफबी तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 14/14 की 0.759है0 तथा खाता संख्या 26/21 की 1.588है0 यानि दोनों खातों की कुल 2.347है0 नहरी भूमि अपने जीवन काल में जरिये पंजीकृत दान-पत्र दिनांक 06.03.2019 रोबरू गवाहान अपनी स्वतन्त्र इच्छा एंव विवेक से वादिया के पक्ष में अन्तरित कर दी। इस भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण की जानकारी में एंव उनके समक्ष गुरमुखसिंह द्वारा दान-पत्र के रोज मुझ वादिया को संभलवा दिया, उस रोज से ही वादिया का उक्त भूमि पर बतौर स्वामी कब्जा चला आ रहा है। वादिया एंव वादिया के पिता गुरमुख सिंह ने हल्का पटवारी के समक्ष उपस्थित होकर वादिया के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जरिये दान पत्र प्राप्त उक्त भूमि का नामान्तरण उसके नाम दर्ज करवाने के लिये दान पत्र की एक प्रति हल्का पटवारी को प्रस्तुत कर इसका नामान्तरण वादिया के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने वादिया को विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही वह दान पत्र के आधार पर वादिया के नाम इन्तकाल दर्ज कर देगा। इसके पश्चात दिनांक 21.04.2019 को वादिया के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के ससुर/दादा गुरमुख सिंह का देहान्त हो गया। आज से अर्सा करीब 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादिया के पास आये तथा ऐलानिया कहा कि वे गुरमुखसिंह द्वारा वादिया के पक्ष में दान पत्र के जरिये हस्तान्तरित की गई उक्त वादिया के कब्जाधीन भूमि पर कब्जा करेंगे, इसका विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा कर इसे अन्यत्र बेचान करेंगे। इस पर वादी ने कहा कि यह जमीन तो स्वयं गुरमुख सिंह ने जरिये पंजीकृत दान पत्र वादिया को अन्तरित की हुई है, अब आपका इस भूमि के सम्बन्ध में कोई विरासतन हक नहीं रहा है। इस भूमि की मालिक वादिया है। इस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने कहा कि तुम्हारे पक्ष में हुए दान-पत्र का हमने अमलदरामद ही नहीं होने दिया। जमीन आज भी हमारे ससुर/दादा गुरमुख सिंह के नाम ही दर्ज चली आ रही है। इस पर वादिया ने राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्राप्त की और पाया कि राजस्व पटवारी द्वारा आज तक भी उक्त दान-पत्र के आधार पर वादिया के पक्ष में हुए अन्तरण का नामान्तरण दर्ज नहीं किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया को वादाधीन भूमि में वादिया के कब्जे में दखलंदाजी करने, इसका विरासतन नामान्तरण अपने नाम करवा कर अन्यत्र बेचान करने की धमकियां दी जा रही है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल रहे तो वादिया को अपनी पिता से जरिए दान-पत्र वैध रूप से प्राप्त भूमि से वंचित होना पड़ेगा जिसकी पूर्ति किसी भी रूप से सम्भव नहीं हो सकेगी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर गुरमुख सिंह पुत्र प्रेम सिंह के नाम चक 59-एफबी तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 14/14 सम्वत 2069-72 के मुरब्बा नं0 14 के किला नं0 5, 6, 15, 16 वा 25 प्रत्येक 0.253-0.253है0 कुल 1.265है0 नहरी, मु0नं0 17 के किला नं0 1 ता 10 प्रत्येक 0.253- 0.253है0 नहरी कुल 2.530है0 व मुरब्बा नं0 22 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व 21 प्रत्येक 0.253 - 0.253है0 नहरी कुल खाता का योग 5.060 हैक्टेयर नहरी भूमि में से तीन बीघा नहरी भूमि दोनों खातों में कुल 2.347 हेक्टर नहरी भूमि जो गुरमुखसिंह पुत्र प्रेम सिंह के नाम दर्ज है को गुरमुख सिंह द्वारा वादिया के पक्ष में किए गए दान-पत्र दिनांक 06.03.2019 के मुताबिक वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर वादगत भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 807 दिनांक 06.04.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गुड्डी देवी बनाम तेजकोर आदि में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सिंलीग का एक प्रकरण माननीय न्यायालय जोधपुर डबल बेंच मुकदमा नम्बर 84/2014 गुरमुख सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि विचाराधीन है।

3. एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 14/14 की प्रति, राजस्व ग्राम 59 एफ बी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि.क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 26/21 की प्रति, दानपत्र दिनांक 06.03.2019 की प्रति, गुरमुख सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के सिंगल बेंच सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1352/2000 के निर्णय दिनांक 03.10.2013 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादिया के द्वारा चक 59 एफ वी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 14/14 व खाता संख्या 26/21 में गुरमुख सिंह के नाम दर्ज भूमि में से 2.347 हैक्टेयर भूमि का पंजीकृत दानपत्र की रूह से खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार गुड्डी देवी बनाम तैजकोर आदि में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सिंलीग का एक प्रकरण माननीय न्यायालय जोधपुर डबल बेंच मुकदमा नम्बर 84/2014 गुरमुख सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि विचाराधीन है। वादिया अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के सिंगल बेंच सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1352/2000 के निर्णय दिनांक 03.10.2013 में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी के पास 59.09 बीघा भूमि थी। वह अपने परिवार सदस्यों की संख्या के अनुसार अधिकतम 5 सदस्यों का लाभ प्राप्त कर सकता था। जिसके आधार पर वह 46.08 बीघा भूमि धारण करने का पात्र है। शेष 13.01 बीघा भूमि सिर्लींग सीमा से अधिक है। जिसे राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश दिये जाते है। लिहाजा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय में यह वर्णित नहीं किया गया कि कौनसे मुरब्बा के कौनसे बीघो का अधिग्रहण किया जावे। इसके साथ-साथ रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर में भी वर्णित किया गया है कि गुड्डी देवी बनाम तैजकोर आदि में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सिंलीग का एक प्रकरण माननीय न्यायालय जोधपुर डबल बेंच मुकदमा नम्बर 84/2014 गुरमुख सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि विचाराधीन है। अतः वाद पत्र वादिया, वादियाके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वादिया के शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुड्डी देवी बनाम तैज कौर आदि

धारा अन्तर्गत 88, 92ए, 188 आरटीए

मुकदमा नम्बर **34/2019**

निर्णय दिनांक :- 06.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नही होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 06.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)